सं. एवी-18011/05/2012-एआई

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली - 110 003, दिनांक 27.09.2013

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा - सरकार के दिशानिर्देशों में छूट के संबंध में

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने कार्यालय ज्ञापन सं. 192024/1/2009-ई-IV, दिनांक 13.07.2009 के द्वारा अन्य बातों के साथ यह परिकल्पना की गई है कि हवाई यात्रा, घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों के सभी मामलों में, जहां भारत सरकार हवाई यात्रा की लागत वहन करती है, संबंधित अधिकारी केवल एअर इंडिया द्वारा यात्रा कर सकते हैं। एअर इंडिया द्वारा न जुड़े हुए स्टेशनों के लिए यात्रा हेतु अधिकारी एअर इंडिया द्वारा हब/अपने अंतिम गन्तव्य के निकटतम स्थान तक एअर इंडिया द्वारा यात्रा कर सकते हैं, जिसके आगे वे अन्य एयरलाइनों आदि की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/2006-स्थापना(ए), दिनांक 27 जुलाई, 2009 के द्वारा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों की प्रयोजनीयता एलटीसी प्रयोजनों के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने निदेश दिए हैं कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों आदि के विचलन के सभी मामलों में, व्यक्तिगत मामलों को छूट के लिए नागर विमानन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

2. नागर विमानन मंत्रालय को ऐसे मार्गों, जहां एअर इंडिया सेवाएं प्रदान नहीं करती है, पर व्यापक/सामान्य अनुमति के विचार हेतु कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, डीजीसीए और एअर इंडिया के परामर्श के साथ इस मंत्रालय में मामले पर विचार किया गया है तथा अनुलग्नक-1 में दिए गए क्षेत्रों के अनुसार, जहां एअर इंडिया सेवाएं प्रदान नहीं करती है, उन क्षेत्रों में आधिकारिक प्रयोजनों/एलटीसी अथवा टीए के लिए एअर इंडिया को छोड़ कर अन्य एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने के लिए व्यापक/सामान्य छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है बशर्ते जब एअर इंडिया अथवा उसकी सहायक कंपनियां अनुलग्नक-1 में दिए गए किसी क्षेत्र (क्षेत्रों) पर प्रचालन आरंभ कर देंगी, यह स्वीकृति उन क्षेत्र (क्षेत्रों)पर एअर इंडिया अथवा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उड़ानों के प्रचालन की अवधि के लिए उस विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) अथवा आगामी आदेशों/मार्गों पर अद्यतन करने पर अमान्य हो जाएगी।

3. हवाई टिकट की खरीद वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 192024/1/2009-ई-IV, दिनांक 16.09.2009 के अनुसार जारी रहेगी, अर्थात (क) एअर इंडिया की वेबसाइट अथवा बुकिंग काउंटर से **अथवा** (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत ट्रैवल एजेंट से जैसे, मैसर्स बामर एंड लॉरी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रैवल एंड टूर्स, और आईआरसीटीसी (सीमा तक, जहां आईआरसीटीसी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या

31011/6/2002-स्थापना(ए), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्राधिकृत है)। टिकट की बुकिंग कराने से पूर्व, टी.ए. दावे का निपटान करने के लिए 37 मार्गों में से किसी एक पर एअर इंडिया अथवा उसकी सहायक कंपनियों की उड़ान के प्रचालन के लिए एअर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट (airindia.com) पर उपलब्ध अद्यतन मार्गों का परामर्श लिया जाए और उसका प्रिंटआउट प्राप्त कर लिया जाए। टी.ए. दावे का निपटान करते समय, संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी यह वचन भी देगा कि बुकिंग के दिना न्यूनतम उपलब्ध किराए पर ही टिकट (टिकटें) खरीदी गई हैं।

4. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिशानिदेशों के अनुसार, अनुलग्नक-1 में नहीं आए क्षेत्रों/नगर जोड़ों के लिए छूट के लिए व्यक्तिगत मामले, छूट/अनुमति प्राप्त करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को भेजे जाते रहेंगे।

संलग्न : अनुलग्नक - 1

हस्ता/-
(दीपक इसरानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24610364

सेवा में -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी सम्बद्ध / अधीनस्थ / स्वायत्त शासी निकायों को परिचालित करने के लिए।
2. वित्त मंत्रालय (ध्यानाकर्षण श्री ए. भट्टाचार्य, अवर सचिव), ई-IV डिवीजन, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 192024/1/2009-ई-IV, दिनांक 31.05.2013 के संदर्भ में।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ध्यानाकर्षण श्री बी. बंदोपाध्याय, अवर सचिव), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/2006-स्थापना (ए), दिनांक 27.07.2009 के संदर्भ में।
4. डीजीसीए (ध्यानाकर्षण श्री एस. के. सिंह, उप निदेशक), सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली को उनके यू.ओ. नोट संख्या 23-05/2010-एईडी, दिनांक 07.08.2013 के संदर्भ में।
5. निदेशक, एनआईसी कक्ष, नागर विमानन मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग करने के लिए।
6. श्री अनिल मेहता, महाप्रबंधक, एअर इंडिया लिमिटेड, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली को एअर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

हस्ता/-
(दीपक इसरानी)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक - 1

क्र.सं.	क्षेत्र
1.	अहमदाबाद - पुणे - अहमदाबाद
2.	अहमदाबाद - जयपुर - अहमदाबाद
3.	अहमदाबाद - इंदौर - अहमदाबाद
4.	बंगलौर - कोयम्बटूर - बंगलौर
5.	बंगलौर - विशाखापत्तनम - बंगलौर
6.	चेन्नई - कोयम्बटूर - चेन्नई
7.	चेन्नई - तूतीकोरिन - चेन्नई
8.	चंडीगढ़ - श्रीनगर - चंडीगढ़
9.	गुवाहाटी - डिब्रूगढ़ - गुवाहाटी
10.	गुवाहाटी - बागडोगरा - गुवाहाटी
11.	हैदराबाद - भुवनेश्वर - हैदराबाद
12.	हैदराबाद - भोपाल - हैदराबाद
13.	हैदराबाद - कोचिन - हैदराबाद
14.	हैदराबाद - कोयम्बटूर - हैदराबाद
15.	हैदराबाद - नागपुर - हैदराबाद
16.	हैदराबाद - राजामुंदरी - हैदराबाद
17.	हैदराबाद - रायपुर - हैदराबाद
18.	हुबली - बंगलौर - हुबली
19.	जयपुर - जम्मू - जयपुर
20.	जयपुर - हैदराबाद - जयपुर
21.	कोलकाता - रायपुर - कोलकाता
22.	कोलकाता - विशाखापत्तनम - कोलकाता
23.	लखनऊ - पटना - लखनऊ
24.	लखनऊ - कोलकाता - लखनऊ
25.	मुंबई - भुज - मुंबई
26.	मुंबई - दीव - मुंबई
27.	मुंबई - नांदेड़ - मुंबई
28.	मुंबई - पोरबंदर - मुंबई
29.	मुंबई - जबलपुर - मुंबई
30.	मुंबई - पुणे - मुंबई
31.	मुंबई - वदोदरा - मुंबई
32.	नागपुर - कोलकाता - नागपुर
33.	नागपुर - हैदराबाद - नागपुर
34.	नागपुर - पुणे - नागपुर
35.	नागपुर - बंगलौर - नागपुर
36.	नागपुर - इंदौर - नागपुर
37.	वाराणसी - कोलकाता - वाराणसी